झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद

:: आवश्यकता ::

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद में निम्न पदों की संविदा के आधार पर आवश्यकता है :–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा की मासिक राशि
1.	कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	1 (एक)	रू0 30,000/–
2.	लेखा पदाधिकारी	1 (एक)	रू0 20,000/–
3.	लेखापाल	1 (एक)	रू0 10,000/–
4.	निजी सहायक	1 (एक)	रू0 8,000/–
5.	कार्यालय सहायक	1 (एक)	रू0 8,000/–
6.	लिपिक–सह–टंकक	1 (एक)	रू0 8,000/–
7.	डाटा इन्ट्री आपरेटर	1 (एक)	रू0 8,000/–

योग्यता

1. कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	सिविल इंजीनियरींग में स्नातक तथा संबंधित क्षेत्र में कम–से–कम 8 वर्षो का अनुभव अथवा सिविल इंजीनियरींग में डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 14 वर्षो का अनुभव।
2. लेखा पदाधिकारी	Cost Accountant/Chartered Accountant तथा कम–से–कम में 10 वर्षो का कार्य अनुभव।
3. लेखापाल	B COM एवं ICWA इंटर तथा कम से कम 2 वर्षो का सरकारी/गैर सरकारी (प्रतिष्ठित संस्थान) का कार्य अनुभव।
4. निजी सहायक	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक के साथ हिन्दी एवं अंग्रजी में SHD लेने में दक्ष तथा Computer पर हिन्दी एवं अंग्रजी में कम–से–कम 30 शब्द प्रति मिनट का Typing में दक्ष। निजी सहायक के रूप में कम–से–कम दो वर्ष का सरकारी/गैर सरकारी (प्रतिष्ठित संस्थान) का कार्य अनुभव।
5. कार्यालय सहायक	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी विषय में स्नातक। कम–से–कम 5 वर्षो का सरकारी/गैर सरकारी (प्रतिष्ठित संस्थान) का कार्य अनुभव। Computer से Typing जानने वाले को प्राथमिकता।
6. लिपिक–सह–टंकक	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक के साथ हिन्दी एवं अंग्रजी में SHD लेने में दक्ष तथा Computer पर हिन्दी एवं अंग्रजी में कम–से–कम 30 शब्द प्रति मिनट का Typing में दक्ष। कम–से–कम दो वर्ष का सरकारी/गैर सरकारी (प्रतिष्ठित संस्थान) का कार्य अनुभव।
7. डाटा इन्ट्री आपरेटर	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम–से–कम इन्टरमिडियेट एवं डिप्लोमा इन कम्पूटर एप्लीकेशन । कम–से–कम दो वर्ष का सरकारी/गैर सरकारी (प्रतिष्ठित संस्थान) का कार्य अनुभव।

आयु सीमा :–

- क्रमांक 1 – कार्यपालक अभियंता (असैनिक) तथा क्रमांक 2 लेखा पदाधिकारी की अधिकतम आयु सीमा दिनांक 01.04.2011 को 45 वर्ष है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

- क्रमांक 3 से क्रमांक 7 के पद के लिये दिनांक 01.04.2011 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष । अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

1. सरकारी तथा लोक उपक्रम (केन्द्रीय/राज्य स्तरीय) के सेवारत कर्मचारीगण भी उचित माध्यम द्वारा आवेदन कर सकते है। ऐसे कर्मियों को उनके वेतन (वेतन + महगाई भत्ता) पर 10% (दस प्रतिशत) का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा। उसके अतिरिक्त उन्हें अपने पैत्रिक विभाग में प्राप्त होने वाले अन्य भत्ते का सुविधा देय नही होगा। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
2. सरकारी (केन्द्रीय/राज्य स्तरीय) एवं लोक उपक्रम के सेवानिवृत कर्मचारी भी आवेदन कर सकते है। अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।

- प्राप्त आवेदनों को योग्यता एवं अनुभव पर Shortlisting किया जायेगा। तदोपरान्त योग्य आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

- आमंत्रित आवेदकों का साक्षात्कार प्राधिकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

- नियोजन की स्वीकृति एकरारनामा के आधार पर की जायेगी। स्वीकृति एवं अस्वीकृति का अधिकार जे0आर0डी0ए0 के पास सुरक्षित होगा।

- यह नियोजन विल्कुल अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए किया जायेगा किन्तु आवश्यकतानुसार तथा दक्षता एवं कार्यक्षमता के आधार पर विस्तारित भी किया जा सकता है। नियोजित व्यक्ति प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी स्थान पर पदस्थापित किये जा सकते हैं।

- संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाऐंगे एव सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के लिए ये हकदार नहीं होंगे किन्तु सरकारी सेवकों की भाँति वे सार्वजनिक अवकाश/राजपत्रित अवकाश एवं क्षतिपूर्ति अवकाश के हकदार होगें। प्राधिकार के कार्यो के सिलसिले में की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा–भत्ता के अधिकारी होंगे।

- यदि संविदा की अवधि के समाप्ति के पूर्व अवधि विस्तार नही हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इस हेतु झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार द्वारा कोई पत्र नही दिया जायेगा।

- नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।

- इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि के समाप्ति के पूर्व प्राधिकार द्वारा एक माह की सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि का एकमुश्त भुगतान देकर समाप्त की जा सकती है।

- संविदा अवधि में यदि कोई कर्मी अपना पद छोड़ना चाहता है तो उसे एक माह का नोटिस देना पड़ेगा अथवा एक माह की संविदा राशि जमा करना होगा।

- नियोजन के पूर्व नियमानुसार आवेदक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- विस्तृत जानकारी किसी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- विज्ञापन बिना कारण बताये रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

कैसे आवेदन करें

इच्छुक आवेदक अपना Bio-data, जन्म तिथि, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सभी Mark-Sheet एवं अनुभव प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति दो Recent passport Size photo एंव Self Address Stamped लिफाफा के साथ दिनाक 12. 10. 2011 तक विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को समर्पित कर सकते है। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पदो का उल्लेख करें।

- **इसे विस्तृत रूप से Web site – http://www. jrda.in पर भी देखा जा सकता है। आवेदन पत्र को Web site से download कर आवेदन दिया जा सकता है।**

उप विकास आयुक्त, धनबाद–सह–परियोजना निदेशक,
झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद

ज्ञापांक :   दिनांक:

प्रतिलिपिः– 2. विज्ञापन प्रबंधक, “प्रभात खबर”/“हिन्दुस्तान”/“दैनिक भास्कर”/“दैनिक जागरण”/“फारूखी तंजीम” ”/“आज” को अपने दैनिक समाचार पत्र के झारखण्ड संस्करण में तीसरे पृष्ठ के बाद किसी अन्य पृष्ठ पर DAVP दर पर एक दिन प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, धनबाद–सह–परियोजना निदेशक,
झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद